न्यायालय अपील अधिकारी (जिला कलक्टर) सीकर

पीठासीन अधिकारी, यज्ञ मित्र सिंहदेव आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 33/2019/प्रथम अपील

सुनिल सोनी, कार्यालय भ्रष्ट्राचार विरोधी समाज कल्याण संस्था मीरण, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर राज. 332312।

अपीलान्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) सीकर।

रेस्पोडेन्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रथम अपील

निर्णय

दिनांकः 14 अक्टूबर, 2019

1. यह अपील अपीलार्थी **सुनिल सोनी** द्वारा लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) सीकर से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार चाही गयी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर पेश की गई है।

2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। लोक सूचना अधिकारी से अपील के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।

3. आवेदक द्वारा अपने आवेदन दिनांक **29.07.2019** द्वारा मुझे सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों लोकसेवकों से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचनाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जाए :–

(1) कोई सरकारी कर्मचारी अपने पिता का नाम बदलकर नौकरी या न्यायिक कार्यवाही करता है तो उसके विरूद्व की जाने वाली विभागीय व कानूनी कार्यवाही से सम्बन्धित नियमों व सरकारी आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं। यदि मांगी गई सूचना आप के विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय लोक सूचना अधिकारी व प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं।

4. सुनवाई के लिए नियत तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

5. रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पत्र दिनांक **04.10.2019** से अवगत करवाया गया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 29.07.2019 इस कार्यालय की आर.टी.आई. शाखा में दिनांक 02.08.2019 को पंजीबद्व हुआ। आवेदन के क्रम में स्थापना शाखा के पत्र दिनांक 13.08.2019 द्वारा सूचना भिजवाई गई। अतः अपीलोत्तर रिकॉर्ड पर लिया जाकर अपील खारिज करने का श्रम फरमावें।

6. हमने पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में पैरा 3 के अनुसार सूचना चाही गयी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा चाही गई सूचना अपने पत्र दिनांक 13.08.2019 से अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः लोक सूचना अधिकारी का प्रत्युतर समुचित है।

7. उक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है। निर्णय की प्रति उभय पक्षकारों को प्रेषित हो।

8. उक्त आदेश के विरुद्व, द्वितीय अपील माननीय राजस्थान सूचना आयोग झालाना लिंक रोड,ओ.टी.एस. चौराहा जे.एल.एन.मार्ग जयपुर में 90 दिवस में की जा सकती है

14/10/2019

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
अपील अधिकारी,
जिला कलक्टर, सीकर

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner